महत्वपूर्ण

संख्या-04/2025/478/90-सं0शि0प0का0/2025-01(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

जे0पी0 सिंह-।।
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग लखनऊः दिनांक-26 अप्रैल, 2025

विषय- माननीय सांसदों एवं विधान मण्डल के माननीय सदस्यों एवं माननीय जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर त्वरित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के शासनादेश दिनांक 03-04-2018, 21-01-2021 एवं 07-04-2025 का ("shasanadesh.up.gov.in" पर उपलब्ध) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि उक्त शासनादेशों एवं समय-समय पर निर्गत पत्रों के माध्यम से माननीय सांसदों एवं विधान मण्डल के माननीय सदस्यों एवं माननीय जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों के सम्बन्ध में प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एक **"जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर"** रखने तथा उसमें पत्रों का विवरण दर्ज कर जनप्रतिनिधियों को पावती भेजे जाने तथा प्रकरण के निस्तारण की स्थिति से सम्बन्धित जनप्रतिनिधि को यथाशीघ्र अवगत कराये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिससे कि माननीय सदस्यों को उसी मामले में बार-बार अनावश्यक पत्राचार न करना पड़े।

3- उक्त दिशा-निर्देशों के उपरान्त भी विधान मण्डल के माननीय सदस्यगण द्वारा माननीय सदन में यह विषय उठाया गया है कि विभागों द्वारा उनके पत्रों का उत्तर नहीं दिया जाता है तथा उस पर कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की जाती है।

अतः इस संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त संदर्भित शासनादेशों में निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाय।

कृपया उक्त आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

जे0पी0 सिंह-।।
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in